



40023 - गरीब को हज्ज करने के लिए ज़कात का माल देना

प्रश्न

क्या गरीब आदमी को हज्ज के फरीज़ा की अदायगी के लिए ज़कात के माल से देना जाइज़ है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिये योग्य है।

अल्लाह तआला ने ज़कात को खर्च करने के स्थानों का अपने इस फरमान में उल्लेख किया है : "ख़ैरात (ज़कात) तो बस फकीरों का हक़ है और मिसकीनों का और उस (ज़कात) के कर्मचारियों का और जिनके दिल परचाये जा रहे हों और गुलाम के आज़ाद करने में और कर्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह (जिहाद) में और मुसाफ़िरों के लिए, ये हुक्क़ अल्लाह की तरफ़ से मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह तआला बड़ा जानकार हिकमत वाला है।" (सूरतुत्तौबा : 60)

तथा विद्वानों की इस बात पर सर्व सहमति है कि अल्लाह तआला के फरमान (व फी सबीलिल्लाह) से मुराद अल्लाह के मार्ग में जिहाद है।

फिर उन का इस बारे में मतभेद है कि क्या जिहाद के साथ हज्ज भी सम्मिलित है या नहीं ?

तो अधिकांश विद्वान इस बात की ओर गये हैं कि यह जिहाद के साथ विशिष्ट है और हज्ज को शामिल नहीं है। और इमाम अहमद इस बात की ओर गये हैं कि इस में हज्ज भी दाखिल है, और उन्होंने ने उस हदीस से दलील पकड़ी है जिसे अबू दाऊद (हदीस संख्या : 1988) ने उम्मे माक़िल से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा कि : ऐ अल्लाह के पैग़ंबर ! मेरे ऊपर हज्ज अनिवार्य है और अबू माक़िल के पास एक जवान ऊँट है, अबू माक़िल ने कहा : उस ने सच्च कहा, मैं ने उसे अल्लाह के रास्ते में कर दिया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : उसे दे दो कि वह उस पर हज्ज करे, क्योंकि यह (अर्थात् हज्ज) भी अल्लाह के रास्ते में है।" इसे अल्बानी ने सहीह अबू दाऊद में सहीह कहा है।

तथा इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने से साबित है कि उन्होंने ने कहा : सुनो ! निःसन्देह हज्ज अल्लाह के रास्ते में से है। हाफ़िज़ (इब्ने हज़र) ने कहा है : इसे अबू उबैद ने सहीह इस्नाद के साथ उल्लेख किया है। (समाप्त हुआ)



देखिये : अल-मुग़नी (9/328) और अल-मजमूअ (6/212)

तथा शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या ने "इख्तियारात" (105) में फरमाते हैं:

"जिस ने इस्लाम का हज्ज (अर्थात् फर्जहज्ज) नहीं किया है और वह गरीब है तो उसे हज्ज करने भर का धन दिया जायेगा।" अर्थात् ज़कात के माल से दिया जायेगा।

तथा स्थायी समिति के फतावा (10/38) में आया है कि :

"मुसलमान गरीबों को इस्लाम के फरीजे के हज्ज के लिए सवारी उपलब्ध कराने और उस में उनका खर्च उठाने में ज़कात का माल देना जाइज़ है, क्योंकि ज़कात के मसारिफ की आयत में अल्लाह तआला के फरमान "व फी सबीलिल्लाह" (और अल्लाह के रास्तों में) के सामान्य अर्थ में यह भी दाखिल है।" (फताव स्थायी समिति 10/38)

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।